न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– II/निग./सतना/भू.रा./2018/0333

दिनांक 10-1-18 को श्री अशोक भार्गव अधि० द्वारा प्रस्तुत/
10.1.18
पेशी दि० 24-1-18

1– प्रेमबाई पत्नी श्री सुरेश प्रसाद पटेल निवासी हरदासपुर थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

2– जानकी बाई पत्नी श्री सुन्दर लाल पटेल निवासी मतवारा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

3– भनवती पत्नी श्री राजाराम पटेल निवासी हरदासपुर थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

4– कृष्णा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी नरौरा थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

5– सुमित्रा पत्नी श्री दारा सिंह पटेल निवासी नरौरा थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

6– रजनी पत्नी श्री प्रदीप कुमार पटेल समस्त पुत्रीगण 1 लगायत 6 स्व. श्री सुन्दर लाल पटेल निवासी भरौली थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

–प्रार्थिनीगण

10/1/18

बनाम

1– महेन्द्र पटेल

2– धनश्याम पटेल

3– राकेश कुमार

4– देवेन्द्र पटेल

5— सतेन्द्र कुमार पटेल

6— धीरेन्द्र कुमार पटैल पुत्रगण श्री राधेलाल पटेल समस्त निवासीगण ग्राम बरही तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29/12/2017 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म. प्र. प्रकरण क्रमांक 1050/2016—17/अपील महेन्द्र पटेल आदि बनाम प्रेमाबाई आदि। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना का प्रकरण क्रमांक 125/2015—16/अपील आदेश दिनांक 31/05/2017।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमि के भूमि स्वामी प्रार्थिनीगण के पिता स्व. श्री सुन्दर लाल पटेल थे। स्व. सुन्दरलाल पटेल के कोई पुत्र नहीं था प्रार्थिनीगण ही सुन्दरलाल पटेल की वैध वारिस होकर उत्तराधिकारी है।

2— यह कि, प्रार्थिनीगण के पिता सुन्दरलाल की मृत्यु के पश्चात प्रार्थिनीगण ने विचारण न्यायालय मे वारिसान के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 3 आदेश दिनांक 25/01/2016 के द्वारा प्रार्थिनीगण का वारिसान के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया।

3— यह कि, प्रार्थिनीगण का विवादित भूमि पर नामांतरण आदेश पारित होने के पश्चात रिस्पोडेण्टगण द्वारा विचारण न्यायालय मे एक रिव्यू प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की विवादित आराजियों से सम्बन्धित अपील माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सतना/भू.रा./2017/333

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	पूर्व पेशी पर आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मेहर व्दारा प्रकरण कमांक 50 अ 6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27-6-16 से वाद विचारित भूमियों पर नामान्तरण किया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण कमांक 88/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-17 से अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार मेहर का आदेश दिनांक 27-6-16 निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी मेहर के आदेश दिनांक 31-5-17 के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1050/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-12-17 से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त के आदेश दि0 29-12-17 के पद 5 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :- **" तहसीलदार तहसील मेहर के न्यायालय में दिनांक 18-4-16 को उत्तरवादीगणों के व्दारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और**	

दिनांक 25-5-16 को वारिसाना नामान्तरण स्वीकार किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 23-6-16 को पुर्नविलोकन का आवेदन पत्र देते हुये वारिसाना नामान्तरण को पुर्नविलोकन में लिया था जिसे कतई विधि संगत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचना से अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेश विधि सम्मत न होने से निरस्त किया जाता है और यह अपील स्वीकार की जाती है।''

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा आदेश दि0 29-12-17 में की गई विवेचना एंव उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29-12-17 अभिलेख के आधार पर आधारित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी प्रचलन-योग्य न पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य